झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद   संख्या 05   वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री हरिदत्त तिवारी,
MIG फ्लैट सं० 2/15,
दिन्दली बस्ती, आदित्यपुर-01,

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि.
दि०. 12.01.2024.

प्रतिवादी ग्रा०+पो०. आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ
↳ जिला आपूर्ति पदा०. सरायकेला-खरसावाँ

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–05 / 2024 परिवादी श्री हरिदत्त तिवारी, MIG फ्लैट सं0–02 / 12, दिन्दली बस्ती, आदित्यपुर–01, थाना+पो0–आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–23.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि PDS डीलर शिवो माहली, अनु0 सं0–25 / 97 को माह जून, 2023 में निलंबित किया गया था। उक्त PDS डीलर के निलंबन के उपरान्त भण्डारित अवशेष राशन सामग्रीयों, ई–पास मशीन एवं भारमापक यंत्र का उठाव BSO, गम्हरिया को अपने उपस्थिति में करने का निदेश दिया गया था। परिवादी का आरोप है कि उक्त डीलर शिवो माहली द्वारा अपने लाभुकों से मार्च, 2023 का गेहूँ चावल की आपूर्ति किये बिना लाभुकों से अंगूठे का निशान ले लिया गया था, जिस कारण उनका दुकान निलंबित किया गया था। परिवादी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त डीलर के दुकान से अवशेष खाद्यान्न का उठाव अबतक BSO, गम्हरिया द्वारा नहीं किया गया है। परिवादी ने शिवो माहली के PDS दुकान से अवशेष खाद्यान्न का उठाव करवाकर लाभुकों के बीच वितरण कराने का अनुरोध किया है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–30.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx172	